न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—351/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00288)

01. मन्भर देवी पत्नी रामकिशोर जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम देवगुढा व्यासों को मौहल्ला, दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. गजानन्द पुत्र बिरदीचन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी गुढा देवगुढा व्यासों का मौहल्ला, दादरबावडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. ओमप्रकाश पुत्र बिरदीचन्द,
03. रघुवीर पुत्र बिरदीचन्द
04. महावीर पुत्र बिरदीचन्द,
05. श्रीमती बिदामी देवी बेवा बिरदीचन्द,
06. राजेन्द्र पुत्र स्व. धन्नालाल,
07. शंकर पुत्र रामेश्वर,
08. रामस्वरूप उर्फ रामनिवास पुत्र नूरामल दत्तक पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम देवगुढा व्यासों को मौहल्ला, दादरबावडी तहसील आमेर, जिला जयपुर।
09. ब्रजेश कुमार शर्मा पुत्र लल्लू नारायण माता राजू उर्फ रज्जू देवी दोहिते रामकिशोर निवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौंमू जिला जयपुर।
10. सुमित्रा पुत्री लल्लूनारायण माता राजू उर्फ रज्जू देवी दोहिते रामकिशाोर निवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौंमू जिला जयपुर।
11. संतारा शर्मा पुत्री लल्लूनारायण माता राजू उर्फ रज्जू देवी दोहिते रामकिशोर नवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 27.07.2017 (प्रकरण संख्या 6/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि मुतदाविया के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी निर्णय पारित किया है जो विधक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विरासती नामान्तररण संख्या 511 दिनांक 22.04.2013 को निरस्त किये जाने बाबत इस्तदुआ दादरसी चाही गई थी किन्तु अपील के अनुतोंष में कही भी स्वयं के लिये कोई इस्तदुआ दादरसी नही चाहकर केवल विरासती नामान्तरकरण को अविधिक रूप से

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

चुनौती दी गई, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत नामान्तरकरण मे क्या खामी रही तथा किस विधिक वारिस के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नही किया गया इस बाबत अवधि बाधिक अपील में कोई एकल अभिवचन भी दर्ज नही है किया गया जबकि विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि अपील प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि स्वयं के लिये कोई अनुतोष क्लेम नही करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपील प्रस्तुत की कोई ईजाजत प्रदत्त नही की जा सकती है, प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलार्थीया के विरासती नामान्तरकरण को चुनौती अवश्य दी गई किन्तु उन्होने अपनी अपील मीमों में ऐसा कोई अभिवचन दर्ज नही किया कि विरासती नामान्तरकरण किस प्रकार अवैध है तथा किस वारिस के नाम विरासती नामान्तरकरण तस्दीक नही किया गया इस बाबत न तो रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी अपील मीमों मे कोई कथनादि ही तकमील किया तथा ना ही विरासती नामान्तरकरण से स्वयं प्रभावित होने के कथनादि ही दर्ज किये गये और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने स्वयं के लिए अपील में कोई अनुतोंष ही मांगा गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त नही करनी चाहिये थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी भी अवस्था में विरासती नामान्तरकरण से प्रभावी पक्षकार नही था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णरूपेण विधिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील अधीन आराजीयत के बाबत एक नियमित वाद बउनवानी ओमप्रकाश बनाम जगदीश न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, उक्त वाद में सजरा खानदान करते समय भी स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा रामकिशोर पुत्र चौथमल के विधिक वारिसान की सारणी तकमील की गई थी उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण में जो रामकिशोर के विधि वारिसान के नाम तकमील किये गये उनमें और वादपत्र में वर्णित सजरा खानदान में कोई अन्तर नही है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य पत्रावली पर बखुबी मौजूद थे किन्तु अधीनरस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद किसी भी दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य का ना तो अवलोकन किया तथा ना ही उन पर प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की कोई व्याख्या ही गई जब स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपील अधीन आराजीयात में रामकिशोर के वारिसान का अस्वीकृत सजरा खानदान की ताईद की गई तो उनके ही द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवैध आधारों पर विरासत के नामान्तरकरण को चुनौती दी जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नही होता अन्यथा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकिशोर पुत्र चौथमल का कोई विधिक उत्तराधिकारी नही है और ना ही संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से किसी व्यक्ति के कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त हो सकते है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित करने का आदेश पूर्णरूपेण अवैध है, विधि की मंशा के अनुसार जब पत्रावली पर सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण को निस्तारित करने के लिये उपलब्ध थी तो किसी

भी अवस्था में प्रकरण को प्रतिप्रेषित नही किया जा सकता किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय सम्यक रूप से तस्दीक विरासती नामान्तरकरण को बिना कोई युक्तियुक्त कारण तकमील किये ही अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से निरस्त करने का अदेश पूर्णरूपेण विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया को अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम देवगुढा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 521, 523, 524 लगायत 530, 531/1073, 532 लगायत 535, 535/928 535/928, 1226, 536, 537 लगायत 541 558 लगायत 562, 567 लगायत 576 कुल किता 36 कुल रकबा 14.20 हैक्टयर भूमि के 1/6 भाग की खातेदारी गलत रूप से रामकिशोर पुत्र चौथमल जाति ब्राहाम्ण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई थी रामकिशोर की मृत्यु दिनांक 17.08.2003 को होने के कारण उनके वारिसान मनभरी देवी वगैरह के नाम ग्राम पंचायत देवगुढा के यहॉ नामान्तरकरण संख्या 190 को दिनांक 08.03.2006 के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार खारिज फरमा दिया जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 09.01.2013 को निर्णय पारित करते समय तहसीलदार आमेर को प्रकरण प्रेतिप्रेषित किया जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर ने प्रकरण संख्या 103/2013 दर्ज कर नोटिस जारी किये गये जो जैरकार है लेकिन तहसीलदार आमेर ने बिना आधार के न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन रहते हुये ही अपीलान्ट से साजकर तथा पटवारी हल्का द्वारा समस्त तथ्य छिपाते हुए नामान्तरकरण संख्या 511 अपीलान्ट के हक में खोल दिया जो कतई विधि अनुकूल नही था तथा न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष ओमप्रकाश बनाम जगदीश के नाम से वाद बाबत घोषणा का प्रस्तुत कर रखा है तथा अन्य प्रकरण भी उक्त भूमि बाबत विभिन्न न्यायालय में जैरकार है, अपीलान्ट को आराजी जैर भूमि में कतई कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा रामकिशोर पुत्र चौथमल के मांजाये भाई हनुमान के गोद गये रामकिशोर की दत्तक माता अणची देवी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मनभरी देवी ने रामकिशोर का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है तथा दूसरी तरफ चौथमल का पुत्र होते हुए चौथमल की सम्पत्ति में अपना हिस्सा माना है, इस प्रकार एक व्यक्ति किसी भी रूप में दो पिता की संतान नही हो सकता, रामकिशोर की वारिसान मनभर देवी द्वारका प्रसाद, सांवरमल, दुर्गादेवी तथा मृतक राजूदेवी है, ग्राम पंचायत देवगुढा में मनभर देवी ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को शपथ पत्र देकर गलत बताया है तथा शपथ पत्र में रामकिशोर पुत्र चौथमल के वारिसान के रूप में विरासत द्वारका प्रसाद के नाम स्वीकृत करने बाबत पेश किया इस तथ्य से अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई लेना-देना नही है लेकिन तहसीलदार के समक्ष अहम तथ्य को भी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नजरअन्दाज करते हुए विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जो निरस्तनीय था। उन्होने कथन किया है कि जब किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार है तो प्रकरण के जैरकार रहते हुए राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का नवीन इन्द्राज नही किया जा सकता, तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 136(2) के तहत सुनवाई का निर्णय करने के विपरित मनमान आदेश पारित किया है जो नामान्तरकरण खोलना उसके विधिक क्षेत्राधिकार में नही है, प्रकरण सर्वप्रथम दिनांक 16.12.2013 को नामान्तरकरण की जानकारी हुई जब रेस्पोडेन्ट का रिश्तेदार कार्यवश अपीलाधीन भूमि की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गया तब नकल निकलवाने पर अपील की, ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पक्षकारान की सुनवाई करके ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 09.01.2013 की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रकरण संख्या 103/2013 दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी कर जॉच कार्यवाही विचाराधीन थी तथा उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए ही तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 08.04.2013 स्वीकार कर दिया जो न्यायिक एवं विधिक सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर